उद्योगों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग विकसित करने की व्यवस्था है। इस करार से संयुक्त अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा दिए जाने का पता लगाया जाएगा। यह सहयोग वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों, सामग्री तथा सूचना के आदान-प्रदान सामग्री और उपस्करों के प्रशिक्षण और आपूर्ति के साथ-साथ संगोष्ठियां और कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करने के रूप में होगा। सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने हेतु भारत और फ्रांस में बारी-बारी से प्रत्येक वर्ष कार्य सत्र होगा। करार के संबंध में भारत सरकार और फ्रांस सरकार द्वारा नई दिल्ली में 9 नवम्बर, 1994 को एक कार्य अनुसूची पर भी हस्ताक्षर किये गए हैं। इस कार्य अनुसूची में डेरी प्रौद्योगिकी, मुर्गीपालन और पशुपालन मात्स्यिकी सब्जियों के समेकित संचालन एवं विपणन की तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, वाणिज्यिक टिशु कल्चर, फूलों के कटाई-पश्चात् प्रबंध इत्यादि के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट सहयोगात्मक गतिविधियों पर विचार किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि कृषि के क्षेत्र में सहयोग के क्रियाकलापों से दोनों देशों के बीच परस्पर लाभदायक परिणाम निकलेंगे।

डेरी विकास के अधीन गतिविधियां

493. श्री आस मोहम्मद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डेरी विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अधीन कौन-कौन से काम शुरू किए गये ;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यों की समीक्षा और निगरानी की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतलम) : (क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यकलाप हैं- आनन्द पैटर्न डेरी सहकारी समितियों का गठन (डेस.स.) दुग्ध अधिप्राप्ति, डेरी प्रसंस्करण क्षमता की स्थापना तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विपणन। इस कार्यक्रम ने कम मात्रा में दूध की पैदावार करने वाले हर किसान को शहरी बाजार से जोड़ा है। इस कार्यक्रम ने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, प्रसंस्करण, पैकिंग तथा दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के लिए समुचित बाजार व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी को ग्राम किसानों तक पहुंचा दिया है। आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण घटकों की राज्यवार, वर्ष-वार प्रगति अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 172, अनुपत्र संख्या 8]

(ख) तथा (ग) सरकार समय-समय पर इन योजनाओं के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करती रहती है तथा जहां आवश्यकता होती है वहां; समुचित उपचारी उपाय सतत रूप से किए जाते हैं।

दूध की गुणवत्ता में सुधार

494. चौधरी हमरमोहन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के परिणाम क्या-क्या रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरबिन्द नेताम) (क) से (ग) दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में मशीनरी की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला एवं डेयरी संयंत्रों में स्वच्छता व स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों में न्यूनतम मानकों के पालन पर विशेष बल दिया गया है।

देश में तरल दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास भी किए गए हैं। डेयरी संयंत्र सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है, जोकि किसी डेयरी के कार्यों में समग्र सुधार हेतु आदानों का पूर्ण पैकेज है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा की अधिकांश डेरियों में डेयरी संयंत्र सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किए गए संयंत्र निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम कार्यरत प्रशिक्षण और संयंत्र लागत निर्धारण डेरियों की क्षमता एवं दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 के प्रावधान के तहत दुग्ध और दुग्ध उत्पादों सहित सभी खाद्य वस्तुओं पर गुणवत्ता नियंत्रण करते हैं।

राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट)

495. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना को प्राथमिकता देने के बावजूद इस पर उत्तरोत्तर वर्षों में कम धन राशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है और गत वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) राज्य संघ शासित प्रदेश की सरकारों को धनराशि की निर्मुक्ति उनके द्वारा पिछले वर्ष किये गये कार्य निष्पादन के आधार पर की जाती है, जिसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1993-94 तक प्रारम्भ की गई परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है (**नीचे देखिए**) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत शुरू किये गए कार्यकलापों में कृषि योग्य तथा गैर-कृषि योग्य भूमि का उपचार और मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कम लागत के वर्धी उपायों के उपयोग द्वारा तथा उत्पादन पद्धतियों को उन्नत बनाना शामिल है जिसमें सहायक पारिवारिक आय अर्जन कार्यकलाप शामिल है।